राष्ट्रपति ने सिक्किम पुलिस को 'राष्ट्रपति का निशान' प्रदान किया

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किए जाने की सराहना की

गंगटोक, (भाषा)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया।

सिक्किम अब यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज को निशान के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में किसी राज्य या केंद्रीय पुलिस बल को असाधारण सेवा, वीरता और व्यावसायिकता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित राज्य पुलिस के अधिकारियों को वर्दी पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है।

इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, "मुझे सिक्किम पुलिस को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह सम्मान सिक्किम पुलिस के सभी सदस्यों के लिए गर्व का विषय है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति समर्पित रहने के लिए सिक्किम पुलिस की प्रशंसा की। सिक्किम पुलिस की स्थापना 1897 में हुई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस का स्वरूप औपनिवेशिक रहा है क्योंकि इसे लोगों की सेवा करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस मानसिकता में बदलाव आना चाहिए और पुलिस को नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक बनना चाहिए। मुर्मू ने कहा, "अब साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और डीपफेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को नवीनतम तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच में निपुण होना होगा।

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किए जाने की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "सिक्किम और उसकी पुलिस के लिए यह अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है कि हमें प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्राप्त हुआ है" तमांग ने कहा कि यह विशिष्ट सम्मान राज्य भर में शांति, सद्भाव और सुरक्षा की रक्षा में बल के समर्पण, अनुशासन, व्यावसायिकता, साहस और निस्वार्थ सेवा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "राष्ट्रपति पुलिस ध्वज का प्रदान किया जाना हमारे प्रिय राज्य और राष्ट्र की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए समर्पण और एकता के साथ काम करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है"

प्रधानमंत्री मोदी ने एनटी रामाराव की 103वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव की 103वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जनकल्याण तथा सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने गरीबों और वंचितों को सम्मान दिलाया। अभिनेता से नेता बने एनटी रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को हुआ था। वह एनटीआर के नाम से लोकप्रिय हुए। उनका निधन 18 जनवरी 1996 को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महान एनटीआर गारू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जनकल्याण और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें स्नेहपूर्वक याद किया जाता है, जिसने गरीबों और वंचितों को सम्मान दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिनेमा में एनटीआर का योगदान आज भी पीढ़ियों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा, उनका जीवन और आदर्श अपार प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में राजग सरकार, मेरे मित्र एन. चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में उन आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें उन्होंने जनता के लिए संजोया था। एनटीआर ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी और अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल पूरे किए थे।

ओएसएम प्रणाली एक सुरक्षित प्रौद्योगिकी मंच है : सीबीएसई

नई दिल्ली, (भाषा)। ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह एक सुरक्षित और मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी मंच है और वास्तविक मूल्यांकन पोर्टल में किसी भी तरह की सेंध या चूक की कोई सूचना नहीं है।

सीबीएसई ने यह भी कहा कि इस मंच का, "पैनल में शामिल एजेंसियों से सुरक्षा ऑडिट कर परीक्षण और प्रमाणन" कराया गया है। बोर्ड के अनुसार, यह प्रणाली "मजबूत डिजिटल ढांचे" से लैस है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित स्कैनिंग और प्रसंस्करण के लिए कई स्तर की गुणवत्ता जांच और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। बोर्ड ने एक्स पर छात्रों को संबोधित पोस्ट में कहा कि उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित हैं और कई गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों से होकर गुजरी हैं। यह बयान 2026 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन से जुड़े ठेके को लेकर उठे विवाद और ओएसएम प्रणाली से कथित छेड़छाड़ को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बीच आया है। सीबीएसई ने बुधवार को कोएम्प्ट एडुटेक को ठेका देने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये दावे गलत, भ्रामक और तथ्यहीन हैं। बोर्ड ने कहा कि यह ठेका सामान्य वित्तीय नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया गया था। बोर्ड की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने बुधवार को "पूरे घोटाले" की तह तक जाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक व एसआईटी जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तेलंगाना में संदिग्ध रिकॉर्ड वाली एक कंपनी को बोर्ड ने यह ठेका दिया। यह विवाद तब बढ़ गया जब 12वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने अंकन में गड़बड़ी के आरोप लगाए तथा यह दावा किया कि बोर्ड द्वारा अपलोड की गई उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियां उनकी लिखावट से मेल नहीं खातीं। इससे ओएसएम प्रणाली में उत्तर पुस्तिकाओं की संभावित अदला-बदली को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

न्यायालय ने घर ख़रीदारों के पैसों की हेराफेरी से जुड़ी याचिका पर केंद्र, ईडी, आरबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और कुछ रियल एस्टेट फर्म सहित अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में घर खरीदारों से एकत्र किये गए हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ता वंदना सभरवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और प्रतिवादियों को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया। आवास और शहरी कार्य तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के अलावा, ईडी और आरबीआई से भी जवाब मांगा गया है। पीठ ने उत्तर प्रदेश रेरा (रियल एस्टेट विनियमन और विकास प्राधिकरण), नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल), जयप्रकाश इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तथा सीआरसी होम्स, सीआरसी ग्रीन्स, गौरसन्स, गुलशन होम्स, महागुन और इन्वेस्टर्स क्लिनिक जैसे डेवलपर से भी जवाब मांगे हैं। सभरवाल ने अपनी याचिका में कहा कि यह मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में एक व्यापक प्रणालीगत पद्धति को दर्शाता है, जहां डेवलपर कथित तौर पर घर खरीदारों के धन का दुरुपयोग करते हैं, जमीन और विकास अधिकार संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित करते हैं, और अंततः परियोजनाओं को दिवालियापन की ओर धकेलते हैं, जिससे ख़रीदार अधर में लटक जाते हैं। भूषण ने ईडी की जांच के निष्कर्षों का हवाला दिया, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच कर रही है। उन्होंने पीठ को बताया कि ईडी ने पाया है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा 25,000 से अधिक घर ख़रीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,559 करोड़ रुपये में से काफी बड़ी रकम गैर-निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई और जेपी समूह की कंपनियों सहित संबंधित समूह संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई।

वर्ष 2047 तक भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या 10 करोड़ होगी : शेखावत

नई दिल्ली, (भाषा)। भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक व्यापक दृष्टि पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का योगदान सात प्रतिशत से अधिक हो जाएगा और 2047 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या एक करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री शेखावत ने बुधवार को पीटीआई वीडियो को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि आर्थिक वृद्धि, बेहतर बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास के विकेंद्रीकरण के दम पर भारत अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में कमजोर स्तर से निकलकर वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल करेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में भारत को पर्यटन से लगभग 35 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आय हुई, जो देश के जीडीपी का करीब एक प्रतिशत है।

इतिहास के पन्ने हटाए नहीं जा सकते, चाहे उनका रंग कुछ भी हो : शेखावत

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता विभिन्न आस्थाओं का समागम है और इतिहास के पन्नों को हटाया नहीं जा सकता, चाहे उनका रंग कुछ भी हो।

शेखावत ने बुधवार को पीटीआई-वीडियो को दिए एक विशेष साक्षात्कार में यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब कई दक्षिणपंथी संगठन 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी शासन शुरू होने से पहले की हिंदू सभ्यतागत पहचान पर जोर दे रहे हैं। शेखावत ने कहा, हमारे लिए विरासत मतलब विरासत है और वह समान रूप से मूल्यवान है। उन्होंने देश में मौजूद ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि एलोरा के 8वीं शताब्दी के कैलाश मंदिर, 10वीं शताब्दी के खजुराहो मंदिरों से लेकर बाद के दौर की इस्लामी स्थापत्य कला की अद्भुत धरोहर ताजमहल तक सभी ऐतिहासिक स्थल भारत की सभ्यता के लिए समान महत्व रखते हैं। शेखावत पर्यटन मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, भारत की सभ्यता का इतिहास 10 हजार वर्षों से अधिक की निरंतरता का इतिहास है। उस इतिहास के पन्नों को, चाहे उनका रंग कुछ भी हो, हटाया नहीं जा सकता। वे हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। वे हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण विरासत हैं जितनी वैदिक काल की धरोहर या राखीगढ़ी और सनौली जैसे प्रमुख विरासत स्थल। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब समाज का एक वर्ग कई विवादित ऐतिहासिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने की मांग कर रहा है। उनका दावा है कि ये स्थल मूल रूप से हिंदू मंदिर थे, जिन्हें बाद में विभिन्न इस्लामी शासकों के शासनकाल में मस्जिदों में बदल दिया गया। हाल का मामला मध्यप्रदेश स्थित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर का है, जिसे 15 मई को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने हिंदू स्थल घोषित किया है। जब उनसे पूछा गया कि देश के कई हिस्सों में ऐसे स्थलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद देखने पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री के तौर पर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो शेखावत ने कहा कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कई मामले अदालतों में लंबित हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि यह साबित हो जाए कि तलवार के बल पर चीजें बदली गई थीं, तो केवल हिंदुओं ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों से भी अपेक्षा है कि वे इतिहास को समझें और आस्था का सम्मान करते हुए निर्णय लें।भोजशाला मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वैज्ञानिक अध्ययन किया। एएसआई उनके मंत्रालय के अधीन आता है। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक अध्ययन में कई प्रमाण मिले कि भोजशाला पहले संस्कृत अध्ययन और शोध केंद्र था तथा वहां वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर भी था। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्षों को एक-दूसरे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए। शेखावत ने यह सुझाव भी खारिज किया कि विवादित धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया जाए ताकि समाज के हर वर्ग के लोग वहां जा सके। उन्होंने पूछा, क्या आप काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ढांचे को पर्यटन स्थल बना सकते हैं? आप और हम सभी जानते हैं कि जन्मभूमि, मथुरा मंदिर के पास किस तरह का ढांचा खड़ा है। पूरा देश जानता है कि वह क्यों बनाया गया, कब बनाया गया और किन परिस्थितियों में बनाया गया। क्या उसे पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है? इन विवादों के बावजूद उन्होंने भारत की सांस्कृतिक बहुलता को संरक्षित रखने की वकालत की।

बीरेंद्र बैश्य सांसदों के वेतन पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष चुने गए

नई दिल्ली, (भाषा)। असम गण परिषद (अगप) के राज्यसभा सदस्य बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को 2026-27 के लिए संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति का अध्यक्ष चुना गया है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 1954 के तहत नियम बनाने के लिए गठित संयुक्त समिति में लोकसभा के 10 और राज्यसभा के पांच सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, लोकसभा सचिवालय द्वारा सूचित किया गया कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति (2026-27) ने अपनी बैठक में राज्यसभा सदस्य बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को सर्वसम्मति से संयुक्त समिति का अध्यक्ष चुना है। यह समिति सरकार से परामर्श करने के बाद संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी मामलों पर नियम बनाने के लिए अधिकृत है।

शांतनु सेन ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया

कोलकाता, (भाषा)। पूर्व राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आर जी कर बलात्कार और हत्या मामले तथा संस्थान से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पार्टी की कड़ी आलोचना की। केएमसी के पार्षद सेन ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जनादेश का सम्मान करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टर से नेता बने सेन ने पत्र में पिछले साल कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर से कथित बलात्कार और हत्या की घटना तथा संस्थान से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया।

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

Public Notice

This is to inform the general public that we, Mrs. Neelam Sharma and Sh. Vijay Pal Sharma, residents of H.No. 359, Block-O, 33 Futta Road, Pushkar Vihar, Shiv Vihar, Near Shikha Electronics, Karawal Nagar, Delhi-110094, are the lawful owners of the aforesaid property. Sh. Vijay Pal Sharma is also the owner of property bearing No. B-241, Gali No. 3, Prem Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094. We hereby declare that we have severed and disowned all relations with our son, Sumit Sharma, and his wife, Roopa Sharma, along with their future legal heirs and representatives, due to their misconduct and irresponsible behaviour. Henceforth, we, our daughter, and our sons-in-law shall not be responsible for any act, transaction, liability, or dealing undertaken by them. The general public is cautioned not to enter into any transaction with them in relation to our persons properties, failing which the same shall be at their own risk and consequences. **Aakash Mittal, Advocate, D-401, Lawyers Chamber, Karkardooma Court, Delhi.**

वीर अर्जुन
वर्गीकृत विज्ञापन
नाम परिवर्तन

मैं, नितिन वर्मा, पुत्र श्री विनोद वर्मा, निवासी 2431ए, टैगोर एकेडमी स्कूल के पास, सेक्टर–3, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा–121004, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपने पुत्र 'कुहान' का नाम बदलकर 'कुहान वर्मा' कर दिया है। **C-40605**

उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
विद्युत पारेषण मण्डल, सैक्टर–20 नोएडा

संशोधित ई–निविदा/जैम–निविदा सूचना, दिनांक–28/29.06.2026

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

जैम बिड निविदा संख्या GEM/2026/B/7565785 जो कि दिनांक 20.05.2026 को जैम पोर्टल पर प्रकाशित की गयी है जिसमें विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विभिन्न 220 केवी एवं 132 केवी उपकेन्द्रों के व्यापक संचालन एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य। निविदा शुल्क 2,950/– एवं धरोहर राशि रू. 14,26,000/– मात्र। निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 05.06.2026 समय 17.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 05.06.2026 को 17.30 बजे।

जैम बिड निविदा संख्या GEM/2026/B/7589742 जो कि दिनांक 26.05.2026 को जैम पोर्टल पर प्रकाशित की गयी है जिसमें विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन 02 नग 440 केवी जी.आई.एस. उपकेन्द्रों के व्यापक संचालन एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य। निविदा शुल्क 2,950/– एवं धरोहर राशि रू. 3,51,000/– मात्र। निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 11.06.2026 समय 17.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 11.06.2026 को 17.30 बजे।

जैम बिड निविदा संख्या GEM/2026/B/7550681 जो कि दिनांक 16.05.2026 को जैम पोर्टल पर प्रकाशित की गयी है जिसमें विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम नोएडा के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक उपकेन्द्रों पर स्थापित 220 के.वी. एवं 132 के.वी. सी.टी. का टेन डेल्टा एवं पार्शियल डिस्चार्ज परीक्षण सम्बन्धी कार्य। धरोहर राशि रू. 7,000/– मात्र। निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 01.06.2026 समय 19.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 01.06.2026 को 19.30 बजे।

जैम बिड निविदा संख्या GEM/2026/B/7570789 जो कि दिनांक 21.05.2026 को जैम पोर्टल पर प्रकाशित की गयी है जिसमें विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–द्वितीय नोएडा के अन्तर्गत 132 केवी उपकेन्द्र सैक्टर–66 नोएडा पर 01 नग 33 केवी ए.आई.एस. बे के निर्माण सम्बन्धी कार्य। धरोहर राशि रू. 3,000/– मात्र। निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 08.06.2026 समय 18.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 08.06.2026 को 18.30 बजे।

जैम बिड निविदा संख्या GEM/2026/B/7579119 जो कि दिनांक 23.05.2026 को जैम पोर्टल पर प्रकाशित की गयी है जो कि विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम नोएडा के अन्तर्गत 36 केवी आइसोलेटर जा एवं ब्लेड की आपूर्ति हेतु। धरोहर राशि रू. 2,000/– मात्र। निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 08.06.2026 समय 16.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 08.06.2026 को 16.30 बजे।

जैम बिड निविदा संख्या GEM/2026/B/7570632 जो कि दिनांक 21.05.2026 को जैम पोर्टल पर प्रकाशित की गयी है जो कि विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम नोएडा के अन्तर्गत विभिन्न उपकेन्द्रों पर स्थापित पावर परिवर्तकों की पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य हेतु। धरोहर राशि रू. 4,000/– मात्र। निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 05.06.2026 समय 16.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 05.06.2026 को 16.30 बजे।

ई–निविदा संख्या ई–टी–03/ई.टी.सी.एन./2026–27 विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–द्वितीय नोएडा के अन्तर्गत 132 केवी उपकेन्द्र सैक्टर–66 नोएडा पर 132 केवी बे के Strengthening सम्बन्धित कार्य सामग्री की आपूर्ति सहित किया जाना। धरोहर राशि रू. 1,000/– निविदा शुल्क रू. 590/– निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 24.06.2026 समय 17.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 25.06. 2026 को 15.00 बजे।

ई–निविदा संख्या ई–टी–04/ई.टी.सी.एन./2026–27 विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम नोएडा के अन्तर्गत 132 केवी सैक्टर–129 (220)–सैक्टर 45 लाइन के टावरों के क्षतिग्रस्त Legs की मरम्मत सम्बन्धी कार्य। धरोहर राशि रू. 2,000/– निविदा शुल्क रू. 590/– निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 24.06.2026 समय 17.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 25.06.2026 को 15.00 बजे।

ई–निविदा संख्या ई–टी–05/ई.टी.सी.एन./2026–27 विद्युत पारेषण मण्डल नोएडा के अधीन विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम नोएडा के अन्तर्गत 132 केवी उपकेन्द्र भंगेल पर स्थापित विभिन्न निर्माताओं के 132/33 केवी आइसोलेट मैकेनिज्म बॉक्स और सी.टी. जंक्शन बॉक्स की आपूर्ति और मरम्मत सम्बन्धी कार्य। धरोहर राशि रू. 7,000/– निविदा शुल्क रू. 590/– निविदा बन्द होने की अन्तिम तिथि 24.06.2026 समय 17.00 बजे। उक्त निविदा का प्रथम भाग खुलने की तिथि 25.06.2026 को 15.00 बजे।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

पत्रांकः 1086/वि.पा.मं./नो./दिनांक 27.05.2026

उत्तर रेलवे
निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति	86-SRDEE-G-DLI-2026-27 एसएसई/पीएस/एसएमक्यूएल के अधिकार क्षेत्र में रेलवे क्वार्टरों की रीवायरिंग से संबंधित विद्युत कार्य।
निविदा की अनुमानित लागत	रू. 11135158.00/-
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सामान्य, डीआरएम कार्यालय, दिल्ली मंडल, उत्तरी रेलवे, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055
बयाना राशि	रू0 222700.00/-
निविदा निवेदन की दिनांक व समय	18.06.2026, 16.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक व समय	18.06.2026, 16.00 बजे
वेब साइट व नोटिस बोर्ड	www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/जी, नई दिल्ली

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 1802/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **पप्पु झा पुत्र दिनेश झा पता आर–3, फेस–2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली और गांव रासरह अंचल बनमनखी जिला पुर्णिया बिहार ने एफआईआर सं. 424/2022 धारा 380/457/411 भा.द.स. के तहत** थानाः सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **पप्पु झा** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **पप्पु झा** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **एफआईआर सं. 424/2022 धारा 380/457/411 भा.द.स. के तहत** थानाः सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली **के उक्त पप्पु झा** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **09.07.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
निधि सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी–03
कोर्ट संख्या 212, साकेत साउथ जिला
नई दिल्ली

DP/6500/SW/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **राहुल पुत्र** श्याम बाबू, **निवासी** मकान नं0 आरसी–163, बाबा फरीदपुरी, पटेल नगर, पश्चिम आनंद पर्वत, दिल्ली, ने **FIR No. 648/23, U/S 33 Delhi Ex. Act, पुलिस स्टेशन आनन्द पर्वत, सैंट्रल जिला, दिल्ली,** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राहुल** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राहुल** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 648/23, U/S 33 Delhi Ex. Act, पुलिस स्टेशन आनन्द पर्वत, सैंट्रल जिला, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **राहुल** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **16.07.2026** को या इससे पहले हाज़िर हो।

आदेशानुसार
श्री अंकुर पंघाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–05,
पश्चिम जिला, कोर्ट संख्या–336ए,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/6997/CD/2026
(Court Matter)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of Indusind bank Ltd. that **Mr. Chandan Kumar and Mrs. Amrita Singh** intend to avail loan from the bank for purchase of **Flat No. F-2 on First Floor (Back Side) Part of Plot bearing No. 75,** area 205 Sq. yds. situated in **Shalimar Garden Ext-I, Vill- Pasonda, Pargana Loni, Teh. & Dist. Ghaziabad.** Mrs. Chestora had purchased the entire above mentioned Plot from Mr. Mohinder Singh vide Sale Deed dated 25.11.1994 Doc. No. 3129 and she further executed a Will dt. 14.06.2019 in favour of her husband Mr. Milkhi Ram @ M.R. Anand @ Mulkh Raj Anand for entire plot before her death on 13.09.2020. Mr. Milkhi Ram executed a Sale Deed dt. 23.03.2023 Doc. no. 2847 in favour of Mr. Ram Babu and finally Mr. Ram Babu has sold the entire plot to Mr. Deshraj vide sale deed dt. 20.11.2023 Doc. no. 12438. Now, Mr. Chandan Kumar and Mrs. Amrita Singh is going to purchase the above mentioned flat situated on above mentioned plot from Mr. Deshraj and taking loan from Indusind Bank Ltd. for the purchase. If any person(s) having objection for the same, he is advised to intimate in writing to undersigned within 15 days at below address. In the event no information is received within 15 days from date hereof, Indusind Bank Ltd. will proceed with the mortgage process.

RISHI KAPOOR ADVOCATE
A-13, LGF, South Extn.-II,
New Delhi-110049 M. 9811175172

यूनिटेक लिमिटेड unitech
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालयः 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
टेलीः 011-26857338
ई–मेलः share.dept@unitechgroup.com | वेबः www.unitechgroup.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का विवरण

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 28 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का अनुमोदन कर दिया है। निवेशक वित्तीय परिणाम और साथ में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्ण वित्तीय परिणाम यहां पर उपलब्ध कराए गए क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर) स्कैन करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें

टिप्पणः उपर्युक्त सूचना सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुरूप प्रदान की गई है।

कृते **यूनिटेक लिमिटेड**
हस्ता/-
युद्धवीर सिंह मलिक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 28 मई, 2026

इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड
CIN: L72300DL1977PLC008782
पंजीकृत कार्यालयः 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोन नं.: 011–26444812, E-mail: idmcomplianceofficer@gmail.com, website: www.idmlimited.in

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम
[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के अनुसरण में]

मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सारांश (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	0	0	0.01	0	0.60
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)	(12.83)
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)	(12.83)
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)	(12.83)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात शामिल}	(4.03)	(4.26)	(2.93)	(13.87)	(12.83)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	220	220	220	220	220
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये गये अनुसार				(657.60)	(643.73)
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक) (चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए)					
	1. मूलः	(0.18)	(0.19)	(0.13)	(0.63)	(0.58)
	2. तनुकृतः	(0.18)	(0.19)	(0.13)	(0.63)	(0.58)

नोटः 1. उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही वित्तीय/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.idmlimited.in पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की 28 मई, 2026 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल की बैठक में रिकार्ड में लिया गया है तथा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है और लेखापरीक्षकों ने असंशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है।
3. जहां आवश्यक हो, पूर्व वर्ष/अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड
हस्ता./–
सुनील कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 00259961

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2026